CIN : U45203MP2004SGC016758

मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि.

(म.प्र. राज्य राजमार्ग प्राधिकरण)

(म.प्र. शासन का उपक्रम)

45-ए, अरेरा हिल्स, भोपाल-462011

☎ : (ऑफिस) 0755-2597290/2765205, फैक्स : 0755-2572643, वेबसाइट : mprdc.gov.in

MPRDC

आज़ादी का अमृत महोत्सव

पत्र क्र. 5698 /एमपीआरडीसी/डीएम भोपाल/2023 भोपाल, दिनांक 21/12/2023

प्रति,

कार्यालय वन मण्डल अधिकारी
सामान्य वन मण्डल रायसेन
मध्यप्रदेश

विषयः— **रायसेन जिले में बेगमगंज से सुल्तानगंज तक मार्ग निर्माण हेतु 2.060 हेक्टेयर वनभूमि मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, भोपाल को उपयोग पर देने बावत। (FP/MP/Road/149613/2021)**

संदर्भः— कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू—प्रबंध), वन भवन, मध्यप्रदेश भोपाल का पत्र क्र. एफ—5/1295/2023/10—11/5212 भोपाल दिनांक 08/12/2023

उपरोक्त विषयांतर्गत कृपया अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू—प्रबंध), वन भवन, मध्यप्रदेश भोपाल के कार्यालय से प्राप्त संदर्भित पत्र दिनांक 08/12/2023 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से इस कार्यालय द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन प्रकरण में भारत सरकार—वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भोपाल से सैद्धांतिक जारी करने के पूर्व 10 बिन्दुओ पर जानकारी चाही गई है।

2. उक्त संबंध में सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने के पूर्व चाही गई बिन्दुओं पर इस कार्यालय द्वारा अभिमत निम्नानुसार है:—

S. N.	QUERY	COMPLAINCE
1	Administrative approval/sanction letter of the project shall be submitted.	ENCLOSED
2	Full KML file of layout plan of forest area and non forest area (full project KML FILE) shall be submitted/uploaded.	UPLOADED
3	Justification for location of the project in forest land (counter signed by DFO)Shall be submitted/uploaded.	ENCLOSED
4	No objection certificates of concerned department (RAILWAY,WRD,TLetc) shall be submitted.	NOT REQUIRED
5	Detailed muck calculation and muck disposal schmeme as approved by concerned DFO shall be submitted.	मार्ग निर्माण के पश्चात् खुदाई से निकलने वाले मलवे (MUCK) का उपयोग Embankment बनाने में किया जायेगा तथा अनुपयोगी मिट्टी को सड़क के किनारे निचले भाग में समतलीकरण में उपयोग किया जायेगा।
6	Component wise breakup of land required and component wise area calculation with layout plan shall be submitted.	UPLOADED

7	Road side plantation scheme/details shall be submitted.	कंसेशन अनुबंध क्र. 7४१/२०२२ दिनांक 22.12.2022 शेड्यूल–बी अनुसार निवेशकर्ता को 3023 पौधो का रोपण करना है जासे निवेशकर्ता (ठेकेदार) द्वारा किया जावेगा।
8	As per DSS analysis, CA area has 17.00 ha MDF , so alternate area ,needs to be proposed for ca.	रेंजर एवम अन्य अधिकारियों की सहमति के पश्चात उनके द्वारा भूमि को उपयुक्त बताते हुए भूमि पर सीए स्कीम प्रस्तावित की गई है। चिन्हित भूमि मापदंड अनुसार वृक्षारोपण के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त है। रिक्त भूमि में आवश्यक मापदंड अनुसार वृक्षारोपण किया जाएगा। वन मंडल अधिकारी रायसेन के उक्त भूमि पर सीए वृक्षारोपण की तकनीकी स्वीकृति के प्रस्ताव को सीसीएफ द्वारा स्वीकृत किया गया है।
9	As per covering letter of proposal,the CA area is proposed over 4.12 ha and KML of CA area is uploaded for 17.98 ha, this shall be rectified.	RECTIFIED & UPLOADED
10	When was the existing road constructed relevant documents need to be submitted.	टोपोशीट नम्बर 55 I/6 के अनुसार यह मार्ग वर्ष 1980 के पूर्व का बना हुआ है।

3. उपरोक्त संबंध में, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) के कार्यालय से प्राप्त पत्र पर, इस कार्यालय का अभिमत सहित संबंधित दस्तावेज इस पत्र के साथ संलग्न प्रेषित है। अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त संबंध में अग्रिम कार्यवाही करते हुए, प्रधान कार्यालय को भिजवाने का कष्ट करें, जिससे स्टेज–1 क्लीयरेंस जल्द से जल्द प्राप्त कर रायसेन जिले में बेगमगंज से सुल्तानगंज तक मार्ग का निर्माण प्रारंभ किया जा सकें।

सहपत्रः– उपरोक्तानुसार।

संभागीय प्रबंधक
म.प्र. सडक विकास निगम
भोपाल

CIN : U45203MP2004SGC016758

M.P. Road Development Corporation Ltd.

(M.P. State Highway Authority)

(Govt. of M.P. Undertaking)

45-A, Arera Hills, Bhopal-462011

☎ : 0755-2597290 / 2765205 Fax : 0755-2572643, Website : mprdc.gov.in

Azadi Ka Amrit Mahotsav

No. 15603/MPRDC/Procu/PPPMPRSP/3 Pkgs/563/2022 Date 22.12.2022

To,

M/s Shreeji Haidergarh Begamganj Road Project Private Limited
1180, University Road, South Civil Line,
Pachpedhi, Jabalpur (M.P.) -482001
Email Id: shreejiinfrajbp@gmail.com

Sub: **Agreement for Development of Haidergarh - Begumganj and Begumganj - Sultanganj Road to two lane in the length of 45.386 km. in the State of Madhya Pradesh on Hybrid Annuity Mode – Package No. – 24 (Tender ID : 2022_ADBRD_204311_1).**

Ref: Letter of Award No. 14353/MPRDC/Procu/PPPMPRSP/3 Pkgs/563/2022, dated 28.11.2022

In reference to above, the concession agreement has been executed with **M/s Shreeji Haidergarh Begamganj Road Project Private Limited** (Concessionaire) on 22nd December 2022. The details are as follows:

1.	Agreement No.	:	**789/2022**
2.	Bid Project Cost	:	**INR 119,16,00,000/- (INR One Hundred Nineteen Crore Sixteen Lakh Only)**

You are requested to make further correspondence with Chief Engineer (ADB-VI).

22/12/2022

(Gopal Singh)
Chief Engineer (Procu.)
Tel: 0755-2597216
Email Id: procu-mprdc@mp.gov.in

Endt. No. 15604/MPRDC/Procu/PPPMPRSP/3 Pkgs/563/2022 Date 22.12.2022

Copy to:

1. Principal Secretary, Government of Madhya Pradesh Public Works Department, Mantralaya, Bhopal: For information, please.
2. The Director, Institutional Finance, Finance Department, Government of Madhya Pradesh, Vindhyachal Bhavan, Bhopal.

- 168

direction/ valley side of ghat/ outer edge of sharp curves as per the Fig: 9.11 of the manual.

9.6 **Reflective Pavement Markers (Road Studs):** Minimum **304 Nos** of road studs (100mm x 100m x 10mm) with reflective panels of dual prismatic cube capable of providing total reflection of light entering the lens face for lane marking and delineation for night time visibility for the entire Project Highway shall be provided as per table 9.1 of the manual.

9.7 **Road delineators:** Minimum **456 Nos.** of Road delineators shall be provided as per clause 9.4 of Manual.

9.8 **Pedestrian Facilities:** The additional pedestrians' facilities in the form of guard rails, footpath, pedestrian crossings etc. shall be provided as per clause 9.8 of the manual.

9.9 **Boundary Pillar:** Minimum **251** Nos. of boundary pillars (Reinforced cement concrete M15 grade) of standard design as per IRC:25-1967, fixed in position including finishing and lettering but excluding painting)

10. COMPULSORY AFFORESTATION

Compulsory afforestation shall be done with minimum 3023.52 trees along the right of way or at place identified by the Independent Engineer/ Authority or as per IRC: SP-21-2009. The Concessionaire shall plant new Shisham, Peepal, Bargad, Imli, Kabeet, Jacaranda, Palash, Kadam, Amaltas, Mahua, Mango, Gulmohar, Karaj, Jamum of average height 3.0m & average girth 0.125m. The Concessionaire shall also be responsible for maintenance, safety (fencing, tree guard, watch & ward etc.), replacement & survival of planted trees during the concession period.

10A **Utilities Shifting**

Shifting of obstructing existing utilities indicated in Schedule A to an appropriate location in accordance with the standards and specifications of concerned Utility Owning Department is part of the scope of work of the Contractor/Concessionaire*. The bidders may visit the site and assess the quantum of shifting of utilities for the project before submission of their bid. All other items required to carry out utility shifting work will be considered as incidental to the work and it is deemed that the cost of such items have been included in submitted price bid by the Concessionaire. Copy of utility relocation plan is enclosed with Schedule- A. The specifications of concerned Utility Owning Department shall be applicable and followed.

Note 1: -

A. The type/spacing/size/specifications of poles/towers/lines/cables/ pipes etc. to be used in shifting work shall be as per the guidelines of Utility Owning Department and it is to be agreed solely between the Concessionaire and the Utility Owning Department. No change of scope shall be admissible and no cost shall be paid for using different type/spacing/ size/specifications in shifted work in comparison to those in the existing work or for making any overhead crossings to underground as per requirement of Utility Owning Department and/or construction of project highway. The Concessionaire shall carry out joint inspection with Utility Owning Department and get the estimates from Utility Owning Department. The assistance of the Authority is limited to giving forwarding letter on the proposal of Concessionaire to Utility Owning Department whenever asked by the Concessionaire. The decision/approval of Utility owning Department shall be binding on the Concessionaire.

CIN : U45203MP2004SGC016758
मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि.
(म.प्र. राज्य राजमार्ग प्राधिकरण)
(म.प्र. शासन का उपक्रम)
45-ए, अरेरा हिल्स, भोपाल-462011
☎ : (ऑफिस) 0755-2597290/2765205, फैक्स : 0755-2572643, वेबसाइट : mprdc.gov.in

आज़ादी का अमृत महोत्सव

वन भूमि में परियोजना लगाने का औचित्य (Justification)

मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम द्वारा स्टेट हाईवे एवं मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड (MDR) का विकास कार्य एवं उन्नयन कार्य किया जाना प्रस्तावित है। जिसके अंतर्गत रायसेन जिले में बेगमगंज–सुल्तानगंज (0+000 से 25+196) मार्ग पर कार्य किया जाना है जिसमें वन भूमि व्यपवर्तन प्रस्तावित है। प्रस्तावित वन भूमि को परियोजना निर्माण हेतु उपयोग में लिए जाने का औचित्य निम्नानुसार है।

बेगमगंज–सुल्तानगंज (0+000 से 25+196) मार्ग का उन्नयन कार्य रायसेन जिले में ट्रैफिक की वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए एवं जिले के छोटे कस्बे एवं ग्रामों को जोड़ने के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। मार्ग का उन्नयन कार्य इस दृष्टि से भी जरूरी है कि दैनिक गुजरने वाले वाहनों को सकरे रास्ते एवं अत्यधिक घुमावों के कारण दुर्घटना की संभावना बनी रहती है।

अतएवं उपरोक्त औचित्य को दृष्टिगत रखते हुए मौके पर इस मार्ग के चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य हेतु निरीक्षण किया गया तदानुसार मार्ग के कुछ स्थानों पर वन भूमि प्रभावित हो रही है। उपरोक्तानुसार समस्याओं के निराकरण हेतु निश्चित हेक्टेयर वन भूमि की आवश्यकता होगी।

अतः उक्त मार्ग के निर्माण वन भूमि का व्यपवर्तन किया जाना ही एक मात्र विकल्प है जो वन भूमि के व्यपवर्तन के औचित्य सहित प्रेषित है।

वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल
रायसेन

संभागीय प्रबंधक
म.प्र. सडक विकास निगम
भोपाल

(1)

मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ- 28/03/2018/19/यो 1869 भोपाल दिनांक 4/05/2018

प्रति,

प्रबंध संचालक
म.प्र. सड़क विकास निगम
45 -ए अरेरा हिल्स भोपाल

विषयः-एशियन विकास बैंक की सहायता से राज्य के राजमार्गो के उन्नयन हेतु परियोजना "Madhya Pradesh Road Development Programme-"VI & VII" की प्रशासकीय स्वीकृति बाबत।

संदर्भः- आपकी टीप क्रमांक 3278/पी.ए./एम.डी.एम.आर.डी.सी/2017 दिनांक 08-12-2017

-o-

राज्य शासन एतद् द्वारा मंत्री परिषद् आदेश दिनांक 23.04.2018 के परिपालन मे एशियन विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित मार्गों के उन्नयन हेतु प्रस्तावित परियोजना "Madhya Pradesh Road Development Programme-"VI & VII" अंतर्गत नवीन राज्य राजमार्गों/मुख्य जिला मार्गो का निर्माण/उन्नयन कार्य मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा संपादित कराये जाने की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है।

1) **Madhya Pradesh Road Development Programme-"VI & VII"** में संलग्न परिशिष्ट-01 के अनुसार 3852.92 कि.मी. लम्बाई के 101 मार्गों के उन्नयन कार्य हेतु रु. 6156 करोड़ (950 यू.एस. डॉलर, 70 प्रतिशत एशियन विकास बैंक का ऋण तथा 30 प्रतिशत राज्य शासन का भाग) की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जाती है। **Madhya Pradesh Road Development Programme-VII** का क्रियान्वयन वर्ष 2019-20 से प्रारंभ किया जावे। परिशिष्ट-01 में सम्मिलित मार्ग कालांतर में किसी अन्य योजना में विकसित हो जाने की स्थिति में उस मार्ग के स्थान पर कुल परियोजना लागत के अधीन वित्त विभाग के अनुमोदन उपरान्त अन्य सड़क मार्ग का चयन प्रशासकीय विभाग द्वारा किया जावेगा।

E-in-C

M. P. ROAD DEV. CORPN. LTD., BHOPAL
RECEIVED
05/05/18
No. 2728

(2)

2) प्रस्तावित परियोजना के क्रियान्वयन हेतु एशियन विकास बैंक से परियोजना लागत की 20 प्रतिशत तक राशि की स्वीकृति Retroactive आधार पर दी जावेगी।

सहपत्र:- परिशिष्ट-01

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

4.5.18
(आर.के. मेहरा)
सचिव
म.प्र. शासन, लो.नि.वि.
भोपाल दिनांक 4/05/2018

पृ क्रमांक एफ-28/03/2018/19/यो 1870
प्रतिलिपि:-

1 प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग भोपाल।
2 निज सचिव, मान. मंत्री जी लोक निर्माण विभाग भोपाल।
की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

सहपत्र:- 0

4.5.18
सचिव
म.प्र. शासन, लो.नि.वि

स. क्रं.	मार्ग का नाम	जिला	लंबाई (कि.मी.)	मार्ग श्रेणी	प्रस्तावित कार्य	अनुमानित लागत (` करोड़ में)
17	खैरबाना – पठारिया – गढ़ाकोटा – रेहली – चँदपर – देवरी – सहजपुर – घाटखेड़ी – सालाबर्रू – प्रतापगढ़ – चंदनपिपलिया – भानपुर – चुनेटिया – घाटखेड़ी – पिपलियाकेवट – नोनियाबरेली – एन.एच.45 जोड़, कुल लंबाई = 189.00 कि.मी.	रायसेन	31.50	नवीन राज्य राजमार्ग	कुल लंबाई 189.00 कि.मी. मे से 31.50 कि.मी. का टू–लेन में चौड़ीकरण	94.50
18	इटमा – अमरपाटन – सतना – कृपालपुर – टिकुरी – सेमरिया – फरहद – सिरमौर – क्योंटी – लालगाँव – कटरा – मऊगँज – नईगढ़ी – बहेराडाबर – कमर्जी – सिधी – ब्यौहारी (सतना – कृपालपुर रा.रा. 8 कि.मी. लंबाई छोड़कर) कुल लंबाई = 304.00 कि.मी.	सतना, रीवा	73.40	नवीन राज्य राजमार्ग	कुल लंबाई 304.00 कि.मी. में से 73.40 कि.मी. का टू–लेन में चौड़ीकरण	220.20
19	विदिशा–अहमदपुर–गढी–गैरतगंज कुल लंबाई 18.60 कि.मी.	रायसेन	18.60	नवीन राज्य राजमार्ग	कुल लंबाई 18.60 कि.मी. में टू–लेन में चौड़ीकरण	55.80
20	ग्यारसपुर – हैदरगढ़ – बेगमगंज –सुल्तानगंज – सियरमऊ – टड़ा – केसली – गौरझामर, कुल लंबाई = 111.00 कि.मी.	विदिशा, सागर	59.90	नवीन राज्य राजमार्ग	कुल लंबाई 111.00 कि.मी. मे से 59.90 कि.मी. का टू–लेन में चौड़ीकरण	179.70
21	सालाबर्रू – गुटोरी – देवरी – गोरखपुर – गहलवान – सदरई – हीरापुर – गाडरवारा कुल लंबाई = 66.00 कि.मी.	रायसेन	55.80	नवीन राज्य राजमार्ग	कुल लंबाई 66.00 कि.मी. मे से 55.80 कि.मी. का टू–लेन में चौड़ीकरण	167.40
22	महाराजपुर–सहजपुर–तेंदूखेडा–गाडरवाड़ा कुल लंबाई 42.0 कि.मी.	सागर	42.00	नवीन राज्य राजमार्ग	कुल लंबाई 42.0 कि. मी. में टू–लेन में चौड़ीकरण	126.00
23	पाली – बीरसिंहपुर – बटौंधा – शाहपुर – निवास – फूलसागर – मण्डला–घंसौर – लखनादौन – (फूलसागर –मण्डला लंबाई 14 कि.मी. छोड़कर) कुल लंबाई = 229.00 कि.मी.	डिण्डोरी, उमरिया	53.00	नवीन राज्य राजमार्ग	कुल लंबाई 229.00 कि.मी. मे से 53.00 कि.मी. का टू–लेन में चौड़ीकरण	159.00